

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अध्या.संवर्ग/डी/संवि./162/2008/10 23 . भोपाल,दिनांक: 5/8/08

आदेश

म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ-1/49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 08.11.05 एवं 21.12.05 के अनुक्रम में सहायक अध्यापक पारस्परिक अदला-बदली के आधार पर सहायक अध्यापक को एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक-1 में उल्लेखित सहायक अध्यापक को तालिका क्रमांक-2 तथा तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति की स्थिति में तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय में पारस्परिक संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-


क्र.	अध्यापक का नाम (अध्यापक/सहायक अध्यापक) एवं कार्यरत शाला का नाम	कार्यरत निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक
	1	2	3
1	श्री हुक्मसिंह मीना, सहायक अध्यापक, शा. प्रा.वि.पनवाड़ी जिला राजगढ़	जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ जा.क्र.1920 दि. 16.06.08	जनपद पंचायत चाचौड़ा जिला गुना जा.क्र. 502 दि. 05.07.08 1.शा.प्रा.वि.लहरचा गुना
2	श्री बृजमोहन मीना, सहायक अध्यापक, शा.प्रा.वि.लहरचा जिला गुना	जनपद पंचायत चाचौड़ा जिला गुना जा.क्र. 502 दि. 05.07.08	जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ जा.क्र.1920 दि. 16.06.08 शा. प्रा.वि.पनवाड़ी जिला राजगढ़

संविलियन की शर्तें :-

1. यह अनुमति तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिए मान्य होगी ।
2. तालिका-1 में वर्णित सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक-3 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक-3 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका क्रमांक-3 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही तालिका क्रमांक-2 में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाये । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक-1 में वर्णित सहायक अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक-3 में वर्णित (संविलियन) निकाय के सहायक अध्यापक की वरिष्ठता कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।

7. तालिका-1 में वर्णित सहायक अध्यापक द्वारा संविलियन हेतु संयुक्त रूप से प्रस्तुत किए गए आवेदन की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
8. शिक्षाकर्मों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की कार्यवाही की जाये ।
9. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जॉच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति आन्वीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अधधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका क्रमांक 2 एवं 3 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र/जाबक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

  
05/8/08  
उप संचालक,


लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक: 05/8/08

पृष्ठा.क्र./अध्या.संवर्ग/डी/संवि./162/2008/1024

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग म.प्र.भोपाल ।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत.....मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा से कराने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी .....एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध करायें । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य को ओर सूचनार्थ ।
9. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित संबंधित अध्यापक/सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ ।

  
05/8/08  
उप संचालक,  
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्र०/अध्या.संवर्ग/डी /संवि./154/2008/ 1106

भोपाल, दिनांक 12/8/08

//आदेश//

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका के कालम-3 तथा तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	शिक्षा कर्मी का नाम वर्ग (अध्यापक संवर्ग) एवं कार्यरत शाला का नाम	कार्यरत निकाय का नाम	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती विनिता पाण्डेय, अध्यापक शा. हाईस्कूल देवसर जिला-सीधी	जिला पंचायत सीधी जिला सीधी जा.क्र. 8107 दि. 18.07.08	जिला पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क्र. 126 दि. 18.07.08 शा. मावि खौरकोठी
2	श्रीमती नीलम भार्गव सहायक अध्यापक शा. प्रा.वि. रतुआ रतनपुर बैरसिया जिला भोपाल	जनपद पंचायत बैरसिया जिला भोपाल जा.क्र. 4015 दि. 15.07.08	जनपद पंचायत सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद जा.क्र. 954 दि. 15.07.08 शा. प्रा.वि. गाजनपुर/बासनियोंकला एवं भमेड़ी
3	श्रीमती वन्दना जादौन अध्यापक शा. उमावि बडेरा जिला भिण्ड	जनपद पंचायत भिण्ड जिला भिण्ड जा.क्र. 4793 दि. 17.07.08	जिला पंचायत ग्वालियर जिला ग्वालियर जा.क्र. 8676 दि. 22.07.08 शा. हाईस्कूल शंकरपुर घाटीगांव
4	श्रीमती नीलिमा मुदगल सहायक अध्यापक शा. कन्या प्रावि लिम्बोदा बागली जिला देवास	जनपद पंचायत बागली जिला देवास जा.क्र. 2127 दि. 10.07.08	नगर पंचायत राऊ जिला इंदौर जा.क्र. 869 दि. 28.07.08 शा प्रावि राऊ श्रमिक कॉलोनी
5	श्रीमती तृप्ति ठाकुर अध्यापक शा. माधि मारुबर्दिया बडोद जिला शाजापुर	जिला पंचायत शाजापुर जिला शाजापुर जा.क्र. 3961 दि. 23.07.08	जिला पंचायत उज्जैन जिला उज्जैन जा.क्र. 5400 दि. 24.07.08 शा. मावि कडछली
6	श्रीमती सपना कीर सहायक अध्यापक शास. प्रावि बरजोरपुर जिला रायसेन	जनपद पंचायत सांची जिला रायसेन जा.क्र. 2039 दि. 18.07.08	जनपद पंचायत बुदनी जिला सीहोर जा.क्र. 1234 दि. 16.07.08 शा. प्रावि बाया नीमखेड़ी रहटी
7	श्रीमती सगता जैन अध्यापक शा. मा.वि. पितावली देपालपुर जिला इन्दौर	जिला पंचायत इन्दौर जिला इन्दौर जा.क्र. 6064 दि. 24.07.08	जिला पंचायत उज्जैन जिला उज्जैन जा.क्र. 5304 दि. 22.07.08 शा. मा.वि. गोनसा एवं जलालखेड़ी

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

8	श्रीमती मिथिलेश चावड़ा सहायक अध्यापक शा. प्रावि पत्थर गुराड़िया जिला देवास	जनपद पंचायत देवास जिला देवास जा.क्र. 2800, दि. 16.07.08	जनपद पंचायत नीमच जिला नीमच जा.क्र. 2319 दि. 14.07.08 शा. प्रावि ग्रामचल्दू
9	श्रीमती आशा चन्देलकर सहायक अध्यापक शा. उमावि चकल्दी जिला-सीहोर	जनपद पंचायत नसरुल्लागंज जिला-सीहोर ज.क्र. 1705, दि. 09.07.08	जनपद पंचायत बैतूल जिला-बैतूल ज.क्र. 1311, दि. 30.07.08 शा. मावि बरसाली (स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित होने पर मान्य होगी)
10	श्रीमती विनिता द्विवेदी अध्यापक शा. मावि सजहर जिला-सीधी	जिला पंचायत सीधी जिला-सीधी ज.क्र. 3172, दि. 18.07.08	जिला पंचायत रीवा जिला-रीवा ज.क्र. 176, दि. 29.07.08 शा. कन्या हाईस्कूल गंगेवा
11	श्रीमती राजकुमारी मालवीय सहायक अध्यापक शास. प्रावि काल्याखेड़ी बडोद जिला शाजापुर	जनपद पंचायत बडोद जिला-शाजापुर जा.क्र. 118 दि. 21.07.08	जनपद पंचायत देवास जिला देवास जा.क्र. 2992 दि. 23.07.08 शा. क. प्रावि जामगोद
12	श्रीमती ज्योति जैन अध्यापक शा. मा.वि. खोरीबरी जिला अशोकनगर	जनपद पंचायत मुगावली जिला-अशोकनगर जा.क्र. 2416 दि. 15.05.08	जनपद पंचायत सागर जिला-सागर जा.क्र. 1715 दि. 05.07.08 शा. मावि बारोदा
13	श्रीमती लक्ष्मी ताम्रकार अध्यापक शा. मावि भडारी जिला दमोह	जिला पंचायत दमोह जिला दमोह जा.क्र. क्यू, दि. 22.07.08	जिला पंचायत सागर जिला सागर जा.क्र. 21 दि. 17.07.08 शा. मावि लालपुर
14	श्रीमती रामदुलारी बुन्देले सहायक अध्यापक शा. प्रावि नांदखेड़ामाफी जिला खण्डवा	जनपद पंचायत पुनासा जिला खण्डवा जा.क्र. 6/5 दि. 18.07.08	जनपद पंचायत कन्नौद जिला देवास जा.क्र. 1112 दि. 25.07.08 शास. प्रा.वि. बामनीबुर्जुग, रेहमानपुरा एवं खारी
15	श्रीमती गौरी तिवारी अध्यापक शा. मावि जिंभिनिया जिला-दतिया	जनपद पंचायत सेवड़ा जिला-दतिया ज.क्र. क्यू, 5 दि. 02.08.08	नगर पालिक निगम, इन्दौर जिला-इन्दौर जा.क्र. 683, दि. 01.08.08 शा. अहिल्याश्रम उमावि क्र.1

### संविलियन की शर्तें -


1. यह अनुमति तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका के कालम-4 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-3 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक एवं सहायक अध्यापकों कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत हैं तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।

*mo*

*Q*

6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-4 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका के कालम-3 एवं 4 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित


  
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 12/8/08

पृष्ठा. क्र०/अध्या.संवर्ग/डी /संवि./154/2008/ 1107  
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल ।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी से कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/..... मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी से कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध कराएं । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ ।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित संबंधित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ ।

  
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश



९

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्र०/अध्या.संवर्ग/डी/संवि./171/2008/1175

भोपाल, दिनांक- 21/8/18


//आदेश//

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक - 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक एक में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक दो तथा तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यापक तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र	अध्यापक संवर्ग का नाम, एवं कार्यरत शाला का नाम (वरि.अध्या./अध्या./सहा.अध्यापक)	कार्यरत निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक
	1	2	3
1	श्री बद्रीलाल गिरवाल सहायक अध्यापक (विकलांग) शा.प्रा.शा. भिगरा नवीन जिला भोपाल	जनपद पंचायत बैरसिया जिला भोपाल जा.क्र. 4045 दि. 14.07.08	जनपद पंचायत इंदौर जिला इंदौर जा.क्र. 2256 दि. 22.07.08 शा.मा.वि. अजरावद बुजुर्ग


संविलियन की शर्तें -

1. यह अनुमति तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका एक में वर्णित सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका क्रमांक एक में वर्णित सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका क्रमांक तीन में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका क्रमांक दो में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका क्रमांक एक में वर्णित सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक एक में वर्णित सहायक अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक-3 में वर्णित संविलियन निकाय के की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. वरिष्ठ अध्यापक अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।



10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका क्र 2 एवं 3 में अंकित निकायो द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र/जावक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित


  
21/8/18  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्र०/अध्या.संवर्ग/डी/संवि./171/2008/  
प्रतिलिपि:-

1176

भोपाल, दिनांक-21/8/18

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/..... मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी ..... एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध कराएं। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित संबंधित सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ।

  
21/8/18  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

कमांक/अध्या.संवर्ग/डी/संवि./171/2008/ 1165 भोपाल दिनांक: 19/8/8

आदेश

म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ-1/49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 08.11.05 एवं 21.12.05 के अनुक्रम में महिला तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक-1 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक-2 तथा तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक का नाम (अध्यापक/सहायक अध्यापक) एवं कार्यरत शाला का नाम	कार्यरत निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक
	1	2	3
1	श्रीमती गीतांजली पाटकर, अध्यापक, शा.मा.श.अल्ली जिला रायसेन	जनपद पंचायत सांची जिला रायसेन जा.क्र.2028 दि. 18.07.08	जनपद पंचायत पिपरिया जिला होशंगाबाद जा.क्र. 1710 दि. 17.07.08 1. शा. मावि मुरारी, महतवाडा झील पीपरिया.
2	श्रीमती सुषमा चौरसिया, अध्यापक, शा.मा.वि.टाण्डीखुर्द जिला राजगढ़	जिला पंचायत राजगढ़ जा.क्र. 5040 दि. 18.07.08	जिला पंचायत गुना जिला गुना जा.क्र. 2138 दि. 24.07.08 1. शा.मा.वि.ऊमरी 2. शा.मा.वि.खूजा 3. शा.हाईस्कूल मावन
3	श्रीमती रश्मि राय, सहायक अध्यापक, शा.हाईस्कूल बाग पिपरिया जिला रायसेन	जनपद पंचायत बरेली जिला रायसेन जा.क्र. 1123 दि. 16.07.08	नगर पंचायत बण्डा जिला सागर जा.क्र. 990 दि. 09.07.08 1. न.बा.मा.शा.बण्डा
4	श्रीमती अंजुलता श्रीवास्तव, अध्यापक, शा.नवीन हाईस्कूल टेमागाँव, जिला हरदा	जिला पंचायत हरदा जिला हरदा जा.क्र 4226 दि. 17.07.08	जिला पंचायत विदिशा जा.क्र. 1881 दि. 28.07.08 1. शा.हाईस्कूल कागपुर
5	श्रीमती इन्द्रा विजयवर्गीय, सहायक अध्यापक, शा.कन्या प्रा.वि.जमोन्या जिला राजगढ़	जनपद पंचायत खिलचीपुर जिला राजगढ़ जा.क्र. 2031 दि. 17.07.08	जनपद पंचायत बैरसिया जिला भोपाल जा.क्र. 4096 दि. 17.07.08 1. शा.प्रा.शा.हिनातीसडक
6	श्रीमती ममता पाण्डेय, अध्यापक, शा.पूर्व मा.वि.जोगिनी सिंगरौली जिला-सीधी	जिला पंचायत सीधी जा.क्र. 7989 दि. 16.07.08	जनपद पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क्र. 311 दि. 11.07.08 1. शा.हाईस्कूल खौरकोठी

7	श्रीमती वैशाली दुफारे, अध्यापक, शा.उ.मा.वि.राजना जिला छिन्दवाड़ा	जिला पंचायत छिंदवाड़ा जा.क. 458 दि. 06.06.08	जिला पंचायत सीहोर जिला सीहोर जा.क. 5046 दि. 11.07.08 1. शा.हाईस्कूल झरखेड़ा 2. शा.हाईस्कूल श्यामपुर कन्या
8	श्रीमती रजनी शर्मा, सहायक अध्यापक, शा.बा.प्रा.शा.सुखतवा जिला होशंगाबाद	जनपद पंचायत केसला जिला होशंगाबाद जा.क. 1911 दि. 17.07.08	जनपद पंचायत उज्जैन जिला उज्जैन जा.क. 1792 दि. 18.07.08 1. शा.प्रा.वि.अजराना
9	श्रीमती रंजना सिंह, अध्यापक, शा. पूर्व मा.वि.लेहेचुआ जिला सीधी	जनपद पंचायत रामपुर नैकिन जिला सीधी जा.क. 1097 दि. 05.07.08	नगर निगम रीवा जिला रीवा जा.क. 3189 दि. 08.07.08 1. शा.कन्या उमावि पाण्डेन टोला
10.	श्रीमती सुषमा पटेल, अध्यापक, शा. पूर्व मा.वि.तितिरा बघेलान जिला सीधी	जिला पंचायत सीधी जा.क. 7849 दि. 14.07.08	जिला पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क. 1147 दि. 10.07.08 1. शा.मा.वि.चोरगडी
11.	कु. हेमलता सिंह, अध्यापक, शा. कन्या हाई.कुसमी जिला सीधी	जिला पंचायत सीधी जा.क. 2130 दि. 18.07.08	जनपद पंचायत मऊगंज जिला रीवा जा.क. 237 दि. 25.07.08 1. नवीन पूर्व मा.वि.पहाड़ी निरपतसिंह
12.	श्रीमती सुरभी गुप्ता, अध्यापक, शा. मा.शा.कुड़याला जिला टीकमगढ़	जनपद पंचायत पलेरा जिला टीकमगढ़ जा.क. 149 दि. 14.07.08	जनपद पंचायत नौगाँव जिला छतरपुर जा.क. 1625 दि. 19.07.08 1. शा.हाईस्कूल कैथोकर हरपालपुर
13.	श्रीमती ललिता सिंह अध्यापक, शा. कन्या उ.मा.वि.तालामझोली जिला सीधी	जिला पंचायत सीधी जा.क. 7937 दि. 16.07.08	जिला पंचायत सतना जिला सतना जा.क. 484 दि. 18.07.08 1. शा.मा.वि.खैरा 2. शा.हाईस्कूल.भाजीखैरा 3. शा.हाईस्कूल.डाम्हा
14	श्रीमती अमिता शर्मा, सहायक अध्यापक, शा.मा.वि.उमरिया जिला नरसिंहपुर	जनपद पंचायत गोटागाँव जिला नरसिंहपुर जा.क. 308 दि. 17.07.08	जनपद पंचायत मुरार जिला ग्वालियर जा.क. 1854 दि. 09.07.08 1. शा.कन्या प्रा.वि.टिहोली
15	श्रीमती रेणी सरावगी, अध्यापक, शा.कन्या मा.वि.बड़गाँव जिला कटनी	जनपद पंचायत रीठी जिला कटनी जा.क. 438 दि. 15.07.08	जनपद पंचायत पनागर जिला जबलपुर जा.क. 1311 दि. 17.07.08 1. शा.मा.शा.सिंगलद्वीप 2. शा.मा.शा.इमलिया
16	श्रीमती ललिता तिवारी, अध्यापक, शा.पूर्व मा.वि.धनहा देवसर जिला सिंगरीली	जिला पंचायत सीधी जा.क. 7904 दि. 15.07.08	जिला पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क. 142 दि. 18.07.08 1. शा.मा.शा.बरा रीवा


17	श्रीमती शालिनी वासनिक, अध्यापक, शा.उ.मा.वि.रायबासा जिला छिन्दवाड़ा	जिला पंचायत छिन्दवाड़ा जा.क. 462 दि. 06.06.08	जिला पंचायत सीहोर जिला सीहोर जा.क. 5047 दि. 11.07.08 1. शा.हाईस्कूल.झरखेड़ा 2.शा.हाईस्कूल.श्यामपुर कन्या
18.	श्रीमती ममता विश्वकर्मा, सहायक अध्यापक, शा.मा.शा.जोगला जिला सीहोर	जनपद पंचायत नसरुल्लागंज जिला सीहोर जा.क. 1218 दि. 29.05.08	जनपद पंचायत औबे -दुल्लगांज जिला रायसेन जा.क. 904 दि. 28.05.08 1. शा.मा.शा.सतलापुर 2. शा.मा.शा.तूमड़ाखेड़ा
19	श्रीमती रंजना उपाध्याय, सहायक अध्यापक, शा.मा.वि.छातरपुरा जिला देवस	जनपद पंचायत बागली जिला देवस जा.क. 1419 दि. 08.05.08	जनपद पंचायत घट्टिया जिला उज्जैन जा.क. 1616 दि. 23.07.08 1. शा.बा.प्रा.वि.नजरपुर
20	श्रीमती संतोष सिंह, अध्यापक, शा.उ.मा.वि.छीबौरा जिला सतना	जिला पंचायत सतना जा.क. 3850 दि. 24.07.08	जिला पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क. 158 28.07.08 1. शा.हाईस्कूल पैपखरा 2. शा.उ.मा.वि.गुडहर

**संविलियन की शर्तें :-**

1. यह अनुमति तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिए मान्य होगी ।
2. तालिका-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक-3 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक,सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक-3 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका क्रमांक-3 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही तालिका क्रमांक-2 में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक,सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाये । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक,सहायक अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक-3 में वर्णित (संविलियन) निकाय के अध्यापक, सहायक अध्यापक की वरिष्ठता कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. अध्यापक के संविलियन के प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मी का अध्यापक संवर्ग में संविलियन/संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की कार्यवाही की जाये ।
9. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।

10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील, क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका क्रमांक 2 एवं 3 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र/जावक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

  
19/8/08

उप संचालक,

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश


भोपाल, दिनांक:

19/8/08

पृष्ठा.क्र./अध्या.संवर्ग/डी/संवि./171/2008/ 1166

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग म.प्र.भोपाल।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत.....मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा से कराने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी..... एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध कराएँ। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।
9. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित संबंधित अध्यापक/सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ।

  
19/8/08

उप संचालक,

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अध्या.संवर्ग/डी/संवि./173/2008/112

भोपाल,दिनांक:13/08/08

आदेश

म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ-1/49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 08.11.05 एवं 21.12.05 के अनुक्रम में महिला तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक-1 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक-2 तथा तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक का नाम (अध्यापक/सहायक अध्यापक) एवं कार्यरत शाला का नाम	कार्यरत निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक
	1	2	3
1	श्रीमती ऋतु सेन, अध्यापक, शा.उन्न. मा.शा.बालपुरा जिला सिवनी	जनपद पंचायत सिवनी जा.क्र.245 दि. 18.07.08	जिला पंचायत जबलपुर जिला जबलपुर जा.क्र. 7305 दि. 30.07.08 1. शा.हाईस्कूल रिठौरी
2	श्रीमती वर्षा शुक्ला, अध्यापक, शा. मा.शा.पड़रिया जिला कटनी	जनपद पंचायत कटनी जिला कटनी जा.क्र. 478 दि.28.07.08	जिला पंचायत सतना जिला सतना जा.क्र.731 दि. 31.07.08 1. शा.मा.वि.उमरी पैला मेहर
3	श्रीमती ऋतु तिवारी, अध्यापक, शा. मा.वि.महावीरगंज जिला भिण्ड	जनपद पंचायत रौन जिला भिण्ड जा.क्र 3392 दि.18.7.08	जनपद पंचायत व्योहारी जिला शहडोल जा.क्र. 594 दि.17.7.08 1. शा.उ.मा.वि.मऊव्योहारी 2.शा.मा.वि.खाम्हाडाह 3.शा.उमावि चरखरी.
4	श्रीमती मनीषा चौरसिया, सहायक अध्यापक, शा.प्रा.शा.डोलापांजरा जिला छिंदवाड़ा	जनपद पंचायत बिछुआ जिला छिंदवाड़ा जा.क्र.990 ए दि.05.7.08	जनपद पंचायत नौगाँव जिला छतरपुर जा.क्र.1646 दि.24.07.08 1.शा.प्रा.शा.मउसहानिया 2.शा.क.प्रा.शा.नौगाँव
5	श्रीमती संध्या त्रिपाठी, अध्यापक, शा.हाईस्कूल खैरा जिला सीधी	जिला पंचायत सीधी जा.क्र.8393 दि.26.7.08	जिला पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क्र.174 दि.29.7.08 1. शा.क.मा.वि.रघुनाथगंज
6	श्रीमती राधाशर्मा, अध्यापक, शा.मा. वि.आकलोन जिला अशोकनगर	जनपद पंचायत ईशागढ़ जिला अशोकनगर जा.क्र.1150 दि.15.7.08	जनपद पंचायत मुरार जिला ग्वालियर जा.क्र. 1990 दि.17.7.08 1.शा.मा.वि.बेहटा मुरार

	1	2	3
7	श्रीमती आभा चतुर्वेदी अध्यापक, शा. मा.शा.बड़ेरी जिला उमरिया	जनपद पंचायत करकेली जिला उमरिया जा.कं.590 दि. 19.6.09	नगर पालिका बरही जिला कटनी जा.कं.842 दि. 28.7.08 1.शा.उमावि बरही 2.शा.कन्या हाईस्कूल बरही
8	श्रीमती देवकली साकेत, अध्यापक, शा.हाईस्कूल चुरगडी जिला सीधी	जिला पंचायत सुराजभवन जिला सीधी जा.कं.8443 दि. 28.7.08	जिला पंचायत रीवा जिला रीवा जा.कं.169 दि. 26.7.08 1.शा.पूर्व मा.वि.सठिहा
9	श्रीमती निहारिका सिंह, अध्यापक, शा.मा.वि.दांतरवा बड़नगर जिला उज्जैन	जिला पंचायत उज्जैन जा.कं.5582 दि. 15.7.08	नगर पालिका निगम इन्दौर जिला इन्दौर जा.कं. 678 ए दि.18.7.08 1.शा.हाईस्कूल सिरपुर इन्दौर


**संविलियन की शर्तें :-**

1. यह अनुमति तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिए मान्य होगी ।
2. तालिका-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक-3 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक,सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक-3 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका क्रमांक-3 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही तालिका क्रमांक-2 में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक,सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाये । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक,सहायक अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक-3 में वर्णित (संविलियन) निकाय के अध्यापक, सहायक अध्यापक की वरिष्ठता कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. अध्यापक के संविलियन के प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्म का अध्यापक संवर्ग में संविलियन/संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की कार्यवाही की जाये ।
9. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जॉंच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।



10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन को गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका क्रमांक 2 एवं 3 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र/जावक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।


"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

  
उप संचालक,  
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क्र./अध्या.संवर्ग/डी/संवि./173/2008/1113 भोपाल,दिनांक: 13/08/08

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव,मान.मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग म.प्र.भोपाल ।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत.....मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा से कराने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी..... एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध करायें । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ ।
9. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित संबंधित अध्यापक/सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ ।

  
उप संचालक,  
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अध्या.संवर्ग/डी/संवि./171/2008/1110

भोपाल,दिनांक: 13/08/08


आदेश

म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ-1/49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 08.11.05 एवं 21.12.05 के अनुक्रम में महिला तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक-1 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक-2 तथा तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	वरिष्ठ अध्यापक का नाम एवं कार्यरत् शाला का नाम	कार्यरत् निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक
	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
1	श्रीमती मनीषा कुशवाहा, वरि. अध्यापक, (रसायन) शा.उ.मा.वि. लिमरूआ जिला मण्डला	जिला पंचायत मण्डला जा.क्र. 1225 दि. 14.06.07	जिला पंचायत जबलपुर जिला जबलपुर जा.क्र. 6674 दि. 16.07.08 1. शा.उ.मा.वि.सोनपुर
2	श्रीमती सपना कुशवाह, वरि. अध्यापक, (गणित) शा.उ.मा.वि. बीकर जिला दतिया	जिला पंचायत दतिया जा.क्र. 1765 दि. 23.07.08	जिला पंचायत भिण्ड जिला भिण्ड जा.क्र. 4879 दि. 22.07.08 1. शा.उ.मा.वि.मालनपुर
3	श्रीमती अर्चना शर्मा, वरि.अध्यापक (रसायन) उत्कृष्ट उ.मा.वि. कालापीपल जिला शाजापुर	जिला पंचायत शाजापुर जा.क्र. 3907 दि. 18.07.08	जिला पंचायत देवास जिला देवास जा.क्र. 1780 दि. 22.07.08 1.शा.उ.मा.वि.टोंककला सिया
4	श्रीमती सीमा प्रजापति, वरि. अध्यापक (हिन्दी) शा.उ.मा.वि. जनकपुर मोरवन जिला नीमच	जिला पंचायत जिला नीमच जा.क्र. 3447 दि. 04.06.08	जिला पंचायत इन्दौर जिला इन्दौर जा.क्र. 5757 दि. 15.07.08 1. शा.उ.मा.वि.डकाच्या
5	श्रीमती रेनु सिंह, वरि.अध्यापक (हिन्दी) शा.उ.मा.वि.बालक चंदिया जिला उमरिया	नगर पंचायत चंदिया जिला उमरिया जा.क्र. 535 दि. 23.07.08	जिला पंचायत सतना जिला सतना जा.क्र. 564 दि. 24.07.08 1. शा.कन्या उ.मा.वि.मैहर 2. शा.उ.मा.वि.सुहावल 3. शा.उ.मा.वि.बरहना


संविलियन की शर्त :-

1. यह अनुमति तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिए मान्य होगी ।



2. तालिका-1 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक-3 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक-3 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका क्रमांक-3 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही तालिका क्रमांक-2 में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाये । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक-1 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक-3 में वर्णित (संविलियन) निकाय के वरिष्ठ अध्यापक की वरिष्ठता कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. वरिष्ठ अध्यापक के संविलियन के प्रकरणों में रिक्त पद विषयमान से उल्लेखित शाला में पद सीधी भर्ती का रिक्त होने की पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन/संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की कार्यवाही की जाये ।
9. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जॉच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका क्रमांक 2 एवं 3 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र/जावक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

  
18/8/08  
उप संचालक,

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक: 13/08/08


पुष्ठा.क्र./अध्या.संवर्ग/डी/संवि./171/2008/1111

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग म.प्र.भोपाल ।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी से कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।



6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत..... मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी से कराने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध करायें । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ ।
9. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित संबंधित वरिष्ठ अध्यापक की ओर सूचनार्थ ।

  
उप संचालक,  
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश